

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 88/2024

विषय :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 04.07.2024

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. अमरचन्द्र पुत्र चीन जाति सुधार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
  2. चतुर्भुज पुत्र चीन जाति सुधार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- .....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. पप्पू पुत्र रूपा जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  2. मांगी लाल पुत्र जयचंद्र जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  3. मोहनी पत्नी केला पत्नी स्व. हिरालाल जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  4. रमेश पुत्र रूपा जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  5. शंकर लाल पुत्र जयचंद जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  6. सोहनी पत्नी रूपा जाति सुथार निवासी खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबन्धक रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
  8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द(राज.)
- .....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 513 रकबा 0.8256 हेक्टेर भूमि ग्राम खटुकड़ा पटवार हल्का खटुकड़ा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रुपये अक्षरे. एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा  
राजसमंद